BCC BULLETIN
THE BIHAR CHAMBER OF COMMERCE
Vol. XXXXIII | 15th February 2012 | No. 2

विद्युत बोर्ड की अक्षमताओं का कुप्रभाव उपभोक्ताओं पर नहीं पड़े– चैम्बर अध्यक्ष की प्रतिक्रिया

BIHAR CHAMBER SEEKS PROBE INTO STATE ELECTRICITY BOARD AFFAIRS

The Bihar Chamber of Commerce has been scathing in its criticism the functioning of Bihar state Electricity Board (BSEB), an issue, which it says is serious enough to warrant a high-level probe.

Even consumers have complained against the high power tariff, besides the fuel surcharge imposed on them with retrospective effect.

Consumers are forced to bear high power tariff for the lack of efficiency and professionalism of the people engaged in power generation, transmission & distribution.

O. P. SAH, President, Bihar Chamber of Commerce

In fact, Bihar Chief Minister Nitish Kumar, himself, has defended consumers saying power supply should be made available at reasonable cost, and imposition of fuel surcharge with retrospective effect should be avoided. Taking a cue from the chief minister, Bihar Chamber of Commerce has now upped its ante against BSEB even as it pressed for a probe into the Board functioning.

"It was quite timely for the chief minister to have spoken his mind over the concerns of power users. We appreciate the suggestions of the chief minister that the regulatory body should not allow imposition of levies such as fuel surcharge with retrospective effect. Consumers are forced to bear high power tariff for the lack of efficiency and professionalism of the people engaged in power generation, transmission & distribution". Chamber President OP Sah told ET.

According to Sah, high establishment cost, huge transmission and distribution losses, high cost of own power generation and the board's inability to check power theft have led to decisions for the imposition of such levies by the Board.

"That the Board was suffering losses was indeed mysterious, considering the fact that the power tariff was being revised every year for the past three years, besides realising a hefty amount by way of fuel surcharge since 2008. The Board has also been receiving heavy amounts from the state government as resource gap for the past several years, "said Sah.

Sah added that power tariff in Bihar was already high in comparison to the neighbouring states and any further hike would compound the problems of industry and commerce, reducing their competitiveness vis-a-vis the neighbouring states. This will be detrimental for the overall economic growth of the state. **(Source : The Economic Times : Kolkata : 7.2. 2012)**

TRADERS AIM BARBS AT POWER BOARD

Bihar Chamber of Commerce (BCC) has urged Chief Minster Nitish Kumar to constitute a high-level committee to probe into the affairs of Bihar State Electricity Board.

The BCC feels that the electricity board has been "passing on the burden of all its inefficiencies to the hapless consumers".

PROBE PLEA

Accusation

Bihar Chamber of Commerce feels Nitish Kumar should constitute a high-level inquiry committee to probe into affairs of Bihar State Electricity Board

Why ?

BCC claims that electricity board is "passing on the burden of all its inefficiencies to hapless consumers"

Point noted

BCC says electricity board has been getting annual tariff revision for the past three years, fuel-surcharge with retrospective effect and monthly financial assistance from state government

Show the money

- Doubt over how the board's revenue is spent.
- Chamber of Commerce demands a thorough probe into the earnings and expenditures of power board.

"We have urged the Chief Minister to constitute a high-level committee to prode into the functioning of the board so that consumers should be safeguarded against its callous attitude," BCC President O. P. Sah told The Telegraph today.

Explaining the reasons for seeking a high-level inquiry committee, Sah said: "It's difficult to how the board could be at a despite getting revenue from various sources for the past few years."

He added: "The board has been getting an annual tariff revision for the past three years, ever-increasing fuel-surcharge with retrospective effect and monthly financial assistance from the state government. Now it has proposed a hike of 50 percent in the tariff rate. The question arises where is this huge amount of money going. That must be probed into." Sah said.

Instead of taking steps to check transmission and distribution loss, power thefts and huge establishment cost, the board has been trying to pass on the burden of all its inefficiencies to the hapless consumers, he added. Sah hailed the chief minister's stand that the consumers should not be made liable to pay fuel surcharge with retrospective effect, besides providing electricity at a reasonable rate to them.

He also praised Nitish for suggesting the regulatory body that it should not allow imposition of levy such as fuel surcharge with retrospective effect. "The consumers are paying the cost for the lack of efficiency and professionalism of the board, which is engaged in power generation, transmission distribution," the President said.

He added that the power tariff in Bihar is higher than the neighbouring states and any further hike would add fuel to the fire. "As a result, the industry and commerce will suffer a lot thereby reducing their competitiveness vis-a-vis neighbouring states," Sah said.

Source: The Telegraph : 6.2.2012

चैम्बर अध्यक्ष बियाडा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नामित

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष को नामित किया गया है। उद्यमी सदस्यों से अनुरोध है कि बियाडा संबंधी समस्याओं एवं सुझावों से चैम्बर को अवगत करावें।

63वां गणतंत्र दिवस समारोह

दिनांक 26 जनवरी 2012 को पूर्वाह्न 11.00 बजे चैम्बर प्रांगण में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री जी० के० खेतड़ीवाल द्वारा राष्ट्रध्वज फहराकर 63वाँ गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर चैम्बर के सदस्य काफी संख्या में उपस्थित थे।

खुला बिजली बोर्ड का कॉल सेंटर

उपभोक्ताओं के बिजली बिल की गड़बड़ियों को दूर करने के लिए विद्युत बोर्ड ने मेम्बर फिनांस श्री विनायक चन्द्र गुप्ता की देखरेख में एक कॉल सेन्टर की स्थापना की है। इसके लिए जल्द ही फोन नम्बर जारी किये जायेंगे। इस नम्बर पर राजधानी सहित पूरे राज्य के बिजली उपभोक्ता अपनी बिल सम्बन्धी शिकायत दर्ज करा सकेंगे।

बिजली बिल सम्बन्धी समस्याओं के निदान हेतु पेसू ने भी जी० एम०, अधीक्षण अभियन्ता व कार्यपालक अभियन्ताओं के मोबाइल नम्बर जारी किये हैं। उपभोक्ता अपनी शिकायतें इन नम्बर पर कर सकते हैं :-

पेसू जी० एम०	9835022130
अधीक्षण अभियन्ता पेसू पश्चिम	9835063522
अधीक्षण अभियन्ता पेसू पूर्वी	9905297544
कार्यपालक अभियन्ता न्यू कैपिटल डिविजन	9835040782
कार्यपालक अभियन्ता डाक बंगला डिविजन	9835040781
कार्यपालक अभियन्ता गर्दनीबाग डिविजन	9835040785
कार्यपालक अभियन्ता पाटलीपुत्र डिविजन	9835040783
कार्यपालक अभियन्ता दानापुर डिविजन	9835040784
कार्यपालक अभियन्ता कंकड़बाग डिविजन	9470643296
कार्यपालक अभियन्ता राजेन्द्र नगर डिविजन	9835078008
कार्यपालक अभियन्ता बांकीपुर डिविजन	9905935634
कार्यपालक अभियन्ता गुलजारबाग डिविजन	9835066442
कार्यपालक अभियन्ता पटनासिटी डिविजन	9835416209

(साभार: हिन्दुस्तान, 24.1.2012)

अप्रैल से महंगी होगी बिजली

नवम्बर का फ्यूल सरचार्ज तय : बिहार राज्य विद्युत बोर्ड उपभोक्ताओं से फ्यूल सरचार्ज वसूलने की तैयारी में है। बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने नवम्बर महीने का फ्यूल सरचार्ज तय कर दिया है। हालांकि, इस बार उपभोक्ताओं को 10 पैसे प्रति युनिट से कम ही भुगतान करना पड़ेगा। इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी जायेगी। उपभोक्ताओं से यह जनवरी महीने के बिजली बिल में वसूला जायेगा।

टैरिफ चार्ट		
ग्रामीण क्षेत्र	वर्तमान: 150 रुपये	
	प्रस्तावित: 225 रुपये मासिक	
शहरी घरेलू		
युनिट	वर्तमान	प्रस्तावित
1-100	2.50	4.12
101-200	3.10	5.11
201-300	3.75	6.18
300 से अधिक	4.70	7.75
शहरी व्यावसायिक		
युनिट	वर्तमान	प्रस्तावित
1-100	4.70	7.75
101-200	5.00	8.25
200 से अधिक	5.35	8.82
कब-कब बढ़ा बिजली बिल		
26 अगस्त 2008	22 दिसम्बर 2009	
छह: दिसम्बर 2010	1 जून, 2011	
कब-कब बढ़ा फ्यूल सरचार्ज		
8 अक्टूबर से मार्च, 2009	0. 69 पैसे प्रति यूनिट	
9 अप्रैल से सितंबर, 2009	0.69 पैसे प्रति यूनिट	
9 अक्टूबर से मार्च, 2010	0.78 पैसे प्रति यूनिट	
11 मार्च से अप्रैल, 2011	1.35 पैसे प्रति यूनिट	
1 मई से 31 मई, 2011	0.45 पैसे प्रति यूनिट	
1 जून से 30 जून, 2011	1.18 पैसे प्रति यूनिट	
1से 31 जुलाई, 2011	0.79 पैसे प्रति यूनिट	
1 से 31 अगस्त, 2011	0.60 पैसे प्रति यूनिट	
1से 30 सितंबर, 2011	0.25 पैसे प्रति यूनिट	
1 से 31 अक्टूबर, 2011	0.43 पैसे प्रति यूनिट	
1 से 30 नवम्बर, 2011	10 पैसे (संभावित)	

(साभार: प्रभात खबर, 28.1.2012)

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कार्यकारिणी समिति की बैठक कोइलवर के पास सोन नदी की गोद में

कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह। उनकी दांयी ओर क्रमशः महामंत्री श्री संजय कुमार खेमका एवं उपाध्यक्ष श्री जी० के० खेतड़ीवाल। बांयीं ओर क्रमशः उपाध्यक्ष श्री नन्हे कुमार एवं कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन। साथ में कार्यकारिणी के सदस्यगण।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कार्यकारिणी समिति की बैठक भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, आरा के आमंत्रण पर रविवार दिनांक - 22 जनवरी 2012 को कोइलवर के पास पीतल उद्योग कलस्टर का परेव गाँव के निकट सोन नदी की गोद में बालू पर आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने की।

कार्यकारिणी की बैठक में चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सूबे में बह रही विकास की धारा से व्यवसायी एवं आम जनता चैन की सांस तो जरूर ले रहें हैं लेकिन बिजली विभाग की मनमानी एवं अकर्मण्यता से व्यवसायी सहित आम जनता परेशान है। विभाग द्वारा बार-बार फ्यूल सरचार्ज के नाम पर व्यवसायियों को परेशान एवं दोहन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निर्बाध बिजली एवं फ्यूल सरचार्ज एक बड़ी परेशानी के रूप में उद्योगों को प्रभावित कर रही है। व्यवसायी बिजली बिल देने में कभी पीछे नहीं हटेंगे लेकिन इसमें विद्युत विभाग को भी आगे आना होगा क्योंकि कई मामलों में विद्युत विभाग द्वारा दोषपूर्ण कार्रवाई की गयी है। उन्होंने कहा कि व्यवसायियों को हो रही इस समस्या को गंभीरतापूर्वक एवं अच्छे ढंग से सरकार के समक्ष रखेंगे ताकि सरकार की बेहतर उद्योग नीति पर इसका प्रतिकूल असर न पड़े।

बैठक में उपस्थित व्यवसायियों ने फ्यूल सरचार्ज पर अपनी अलग-अलग राय व्यक्त की। उनका कहना था कि सरकार को इस नीति पर पुनः विचार करना चाहिए। कुछ व्यवसायियों ने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा कि विभाग के अधिकारियों ने खुद बिजली मीटर के साथ छेड़छाड़ की और आरोप व्यवसायियों पर लगाकर उन्हें परेशान किया गया और जुर्माना भी लगा दिया। व्यवसायियों ने कहा कि अब मनमानी बर्दास्त नहीं की जायेगी। इस अवसर पर भोजपुर चैम्बर कॉमर्स के सदस्य बालाजी इन्टरप्राइजेज के संस्थापक श्री जीवन कुमार और डॉ० अशोक कुमार ने चैम्बर के पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों का स्वागत किया।

उक्त बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल एवं श्री नन्हें कुमार, कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन, महामंत्री श्री संजय कुमार खेमका, पूर्व अध्यक्ष श्री युगेश्वर पाण्डेय एवं श्री डी० पी० लोहिया, कार्यकारिणी सदस्यों में श्री ए० के० पी० सिन्हा, श्री बद्री प्रसाद भीमसरिया, श्री दिलीप जैन, श्री गितेश लोहिया, श्री डी० बी० गुप्ता, श्री सुरेश प्रकाश गुप्ता, श्री शशि मोहन, स्थायी आमंत्रित सदस्यों में श्री आशीष शंकर, श्री बी० एन० झुनझुनवाला, श्री किशोर कुमार अग्रवाल, श्री एन० के० ठाकुर, श्री पवन कुमार अग्रवाल, श्री प्रभु दयाल भरतिया, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री राजेश कटारूका, श्री रामावतार पोद्दार, श्री रामचन्द्र प्रसाद, श्री सच्चिदानन्द, श्री सत्य प्रकाश, श्री सुबोध कुमार गोयल, श्रीमती सुषमा साहू, श्री विशाल टेकरीवाल, चेयरमैन श्री व्यास मुनि ओझा के अतिरिक्त भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री विश्वनाथ प्रसाद सहित भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कई सदस्य और पत्रकार बन्धु उपस्थित

सोन नदी के प्राकृतिक सौंदर्य का नजारा लेते कार्यकारिणी के सदस्यगण

त्वरित आयकर विवाद निपटाने को कमीशन बेहतर विकल्प - श्री चट्टोपाध्याय

बैठक को संबोधित करते सेटलमेंट कमीशन के उपाध्यक्ष श्री एस० के० चट्टोपाध्याय। उनकी बांयी ओर क्रमशः कमीशन के सदस्य श्री विनोद खुराना एवं चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री युगेश्वर पाण्डेय। दांयी ओर क्रमशः चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह एवं उपाध्यक्ष श्री जी० के० खेतड़ीवाल।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में दिनांक 8 फरवरी 2012 को चैम्बर सभागार में इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन कोलकाता के अतिरिक्त खण्डपीठ के उपाध्यक्ष श्री एस0 के0 चट्टोपाध्याय के साथ एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में सेटलमेंट कमीशन के सदस्य श्री बिनोद खुराना भी उपस्थित थे। चैम्बर अधयक्ष श्री ओ0 पी0 साह ने श्री चट्टोपाध्याय का एवं चैम्बर के पूर्व अधयक्ष श्री पी0 के0 अग्रवाल ने श्री खुराना का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया।

अपने स्वागत संबोधान में चैम्बर अध्यक्ष ने श्री चट्टोपाध्याय एवं श्री खुराना का चैम्बर सदस्यों के साथ बैठक करने हेतु अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकालकर पधारने के लिए धान्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि आयकर विवाद सुलझाने में सेटलमेंट कमीशन महती भूमिका निभा रहा है।

अपने संबोधन में श्री चट्टोपाध्याय ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर देश में आयकर समझौता आयोग के चार क्षेत्रीय खण्डपीठ हैं, जिसमें संयुक्त रूप से समझौते के लिए 1200 आवेदन प्राप्त हुए हैं। आयोग आयकर संबंधी वैकल्पिक विवाद निवारण के लिए प्रतिबद्ध संस्था है। आयोग के मुंबई खण्ड पीठ ने लगभग 200 आवेदन प्राप्त किये। वहीं पूर्वी क्षेत्र के अधीन कार्यरत आयोग के कोलकाता खण्ड पीठ ने 22 आवेदन प्राप्त किये। बिहार में समझौते हेतु 29 आवेदन प्राप्त किये गये। बिहार समझौते मामलों में उदाहरण स्वरूप उभरने वाले राज्यों में एक है। आयोग की कोलकाता खण्ड पीठ ने करीब 300 आवेदन निपटाये जो गत वर्ष की इस अवधि से 180 प्रतिशत अधिक है। यह वृद्धि आयोग के प्रति आम व्यवसायियों एवं आम जनता में बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर आयोग के चार खण्डपीठों ने 200 से अधिक मामलों के माध्यम से 1136 करोड़ की राशि का समझौता कराया। इसके माध्यम से केन्द्र व राज्य सरकार को 350 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

उन्होंने आगे कहा कि कर संबंधी विवाद को दो प्रकार से निपटाया जा सकता है। पहला माध्यम है अपील और दूसरा एप्लीकेशन। अगर आप अपील में जाते हैं और फैसले से संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर अपील। लेकिन कमीशन के पास अगर एप्लीकेशन भेजते हैं तो सहमति के आधार पर महज 18 माह में मामले को निष्पादित कर दिया जाता है। इसके अंतर्गत ऐसे लोग जिन पर सर्च में 50 लाख कर देय राशि या नन सर्च मामलों में 10 लाख राशि के लिए विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया, तो समझौता आयोग के माध्यम से अधिकतम 18 माह के अंदर समझौता कर सकते हैं, परन्तु आवेदन में अपनी आय को बताते हुए की गयी कर वंचना को स्वीकारना अनिवार्य शर्त है। तत्पश्चात आयोग 35 दिनों के अंदर ही अपने आदेश जारी करता है। यदि व्यवसायी सिर्फ टैक्स के बारे में ही दिन रात सोचते रहेंगे तो वे ठीक से अपना व्यवसाय कैसे कर पायेंगे। इसलिए व्यवसाय करनेवाले लोग कुछ हद तक समझौतावादी बनें एवं अपने टैक्स विवाद का जल्द निपटारा कराएं। कमीशन में जाने पर पेनाल्टी नहीं लगेगी।

आयोग के सदस्य श्री विनोद खुराना ने सदस्यों को सम्बोधित करते हुए कमीशन के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि आयोग समझौते की प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके तहत इस वर्ष तीन और खण्डपीठ दिल्ली, मुंबई एवं कोलकाता में निर्माणाधीन हैं।

बैठक में चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी0 के0 अग्रवाल ने कमीशन के महत्व को समझाया और सेटलमेंट कमीशन के पटना आगमन पर खुशी का इजहार किया एवं चैम्बर में पधारने के लिए आभार व्यक्त किया।

एडवोकेट श्री अजय रस्तोगी, श्री पी0 के0 सिंह, श्री जी0 पी0 सिंह, श्री उत्पल सेन, श्री ए0 के0 पी0 सिन्हा ने अपने कुछ सवाल किये जिनका उत्तर श्री चट्टोपाध्याय एवं श्री खुराना ने दिया।

इस अवसर पर चैम्बर के पूर्व अधयक्ष श्री युगेश्वर पाण्डेय, श्री डी0 पी0 लोहिया एवं श्री मोती लाल खेतान, चैम्बर उपाध्यक्ष श्री गणेश कुमार

सर्विस टैक्स से बाहर रहेंगे होटल, विज्ञापन और मनोरंजन कारोबार

होटल, विज्ञापन एवं मनोरंजन कारोबार से जुड़े कारोबारियों के लिए खुशखबरी है कि अब उन्हें अपनी सेवाओं पर सर्विस टैस नहीं देना होगा। जी० एस०टी० के लिए गठित साधिकार समिति की 9 जनवरी, 2012 को भोपाल में हुई बैठक में राज्यों ने केन्द्र सरकार द्वारा कृषि एवं पशुपालन पर सेवा कर लागू करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। लेकिन सेवा कर की नकारात्मक सूची पर राज्यों ने अपनी सहमति जता दी है। इसके चलते जी० एस० टी० को एक अप्रैल, 2012 से लागू करने की कवायत तेज हो गयी है। बैठक के उपरान्त समिति के अध्यक्ष एवं बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि वर्तमान में लगभग 120 सेवाओं पर कर लगता है। जी० एस० टी० लागू होने के बाद राज्य भी सेवा कर लगा सकेंगे। अभी कई वस्तुएँ ऐसी है जिन पर राज्य कर ले रहे हैं और उन पर केन्द्रीय सेवा कर भी लगता है। इस तरह लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है।

उन्होंने कहा कि हमने केन्द्र सरकार से मांग की है कि संविधान के तहत अनुसूची दो में शामिल सेवाओं को निगेटिव लिस्ट में शामिल किया जाए। इससे व्यापारियों को राहत मिलेगी। (विस्तृत समाचार : हम व्यापारी, 16-23 जनवरी,

प्राइवेट लैंड बैंक बनाने की तैयारी

राज्य में प्राइवेट लैंड बैंक बनाने की तैयारी चल रही है। राज्य सरकार ने प्रारंभिक प्रारूप को स्वीकृति दे दी है। यह प्राइवेट बैंक पीपीपी मॉडल या फिर ज्वायंट वेंचर के तहत विकसित होगा। सरकारी स्तर पर लैंड बैंक को लेकर हो रही परेशानियों के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। इस समय सरकारी लैंड बैंक के तहत उपलब्ध जमीन पर्याप्त नहीं है और अतिरिक्त भूमि लेने में कई तरह की समस्याएं आ रही हैं।

प्राइवेट लैंड बैंक के तहत ली गई जमीन पर जो भी औद्योगिक इकाइयां स्थापित होंगी उन्हें भी नई औद्योगिक नीति के तहत तमाम सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही नियमानुसार करों में भी छूट दी जाएगी। वहां आधारभूत संरचना के विकास में भी सरकार हर संभव मदद देगी। यह पूरी तरह सुविधा व साधन सम्पन्न यूनिट रूप में काम करेंगे और राज्य सरकार द्वारा संरक्षित रहेंगे। उद्योग विभाग के अनुसार इस समय जमीन अधिग्रहण में भारी परेशानी हो रही है, क्योंकि सूबे की अधिसंख्य जमीन कृषि योग्य है और किसानों से उसे उद्योग या अन्य व्यापारिक केन्द्र के लिए लेना काफी मुश्किल हो रहा है। पिछले दिनों नवीनगर बिजलीघर के लिए जमीन लेने में सरकार के पसीने छूट गए। एक और परेशानी जनसंख्या के घनत्व का भी भारी दबाव भूमि अधिग्रहण में है।

पांच वर्षों में दो लाख 69 हजार करोड़ खर्च करेगी राज्य सरकार

राज्य सरकार अगले पांच वर्षों में विकास कार्यों पर करीब 2 लाख 69 हजार करोड़ से अधिक राशि खर्च करेगी। 12वीं पंचवर्षीय योजना काल (2012-17) में सबसे अधिक कृषि और उससे संबधित विभागों पर पैसे खर्च होंगे। सरकार ने अगली पंचवर्षीय योजन के लिए ब्लू प्रिंट तैयार कर लिया है। 12 वीं पंचवर्षीय योजना के पहले साल (2012-13) में वार्षिक योजना आकार 28 हजार करोड़ निर्धारित किया है। धीरे-धीरे वार्षिक योजना आकार भी बढ़ता जायेगा। अगले पाँच वर्षों में राज्य में सड़कों का जाल बिछेगा। सरकार इसके लिए 32 हजार करोड़ से अधिक की राशि खर्च करेंगी। हालांकि, राशि खर्च करने के साथ ही सरकार योजनाओं की कटौती भी करेंगी। सूबे में अभी विभिन्न विभागों के अधीन 600 योजनाएं चल रही है। इनकी निगरानी में सरकार को काफी परेशानी हो रही है। इसे देखते हुए योजना विभाग ने सभी विभागों को कहा है कि वह योजनाओं की संख्या को सीमित करे और एक तरह की योजनाओं को एक-दूसरे में समाहित करने की कोशिश करे। इससे योजनाओं के लिए राशि आवंटन व खर्च की निगरानी की प्रक्रिया सरल हो जायेगी।

प्रमुख विभागों के लिए निर्धारित राशि	
विभाग	राशि
शिक्षा	33839.49 करोड़
ऊर्जा	20731.12 करोड़
खाद्य आपूर्ति	3590.98 करोड़
स्वास्थ्य	6113.33 करोड़
गृह	3990.97 करोड़
उद्योग	4863.23 करोड़
पीएचइडी	31196.22 करोड़
सड़क	32072.22 करोड़
ग्रामीण विकास	14519.89 करोड़
ग्रामीण कार्य	17165.48 करोड़
समाज कल्याण	19531.47 करोड़
नगर विकास	11292.92 करोड़
कृषि	9698.93 करोड़
कुल राशि	269458.50 करोड़

(साभार : प्रभात खबर, 7.2.2012)

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 माघ 1933 (श०)

(सं० पटना 35) पटना, सोमवार, 30 जनवरी 2012

स्वास्थ विभाग

अधिसूचना

15 अक्टूबर 2011

सं० एफ एस सी/02/2011-02(FSC)– खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा-38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अधिसूचना सं० 1647 (15), दिनांक 01 अक्टूबर 2011 के द्वारा उनके नाम के सामने आवंटित क्षेत्र के लिए विनियमण 2011 का अध्याय (1) का 1.2.1 (5) के तहत् पंजीकरण प्राधिकारी (Registering Authority) के रूप में अधिसूचित किया जाता है।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से

संजय कुमार, खाद्य सुरक्षा आयुक्त-सह-सचिव।

10 माघ 1933 (श०)

(सं० पटना 36) पटना, सोमवार, 30 जनवरी 2012

स्वास्थ विभाग

अधिसूचना

15 अक्टूबर 2011

सं० 15/ख 24 - 12-2001-04 (FSC)–खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत् धारा-36(1), 37(1) एंव 38 नियमावली, 2011 के नियम 2.1.2(2) एवं 2.1.3(4) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल इससे अनुबंध तालिका के दूसरे स्तंभ में नामांकित व्यक्तियों को अधिनियम के प्रयोजनार्थ एवं अभिहित अधिकारी एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करते हैं तथा निवेश देते हैं कि वे तालिका के तीसरे स्तंभ में अंकित क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर सक्षम प्राधिकार खाद्य सुरक्षा आयुक्त के आदेश से अपनी शाक्तियों का प्रयोग करेंगे।

क्र० सं०	नाम एवं पदनाम	क्षेत्र जिसके स्थानीय सीमा के भीतर शक्ति प्रयोग किया जायेगा
01	श्री आशीष कुमार सिंह, अभिहित अधिकारी तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	पूरे बिहार राज्य
02	श्री सुरेन्द्र कुमार, अभिहित अधिकारी, पटना प्रमंडल पटना	तथैव
03	श्री टुन्ना साह, अभिहित अधिकारी, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया	तथैव
04	श्री सुरेश प्रसाद सिंह, अभिहित अधिकारी, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर	तथैव
05	श्री शशि भूषण सिंह, अभिहित अधिकारी, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर	तथैव
06	श्री पशुपति नाथ चतुर्वेदी, अभिहित अधिकारी, मगध प्रमंडल, गया	तथैव
07	श्री श्रीमोहन झा, अभिहित अधिकारी, सारण प्रमंडल, छपरा	तथैव
08	श्री बालेश्वर चौधरी, अभिहित अधिकारी, कोशी प्रमंडल, सहरसा	तथैव
09	श्री राजेन्द्र प्रसाद, अभिहित अधिकारी, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा	तथैव
10	श्री अनिल कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया	तथैव
11	श्री मुकेश जी कश्यप, खाद्य सुरक्षा अधिकारी तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	तथैव
12	श्री नारायण राम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, पटना प्रमण्डल, पटना	तथैव
13	श्री मो० इकबाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर	तथैव
14	श्री राजेश्वर प्रसाद, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर	तथैव
15	श्री वीरेन्द्र कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मगध प्रमंडल, गया	तथैव
16	श्री तपेश्वरी सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, सारण प्रमण्डल, छपरा	तथैव
17	श्री अर्जुन प्रसाद, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कोशी प्रमण्डल, सहरसा	तथैव
18	श्री अजय कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा	तथैव
19	श्री रमेश कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मुंगेर जिला	तथैव
20	श्री राजेश कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मुजफ्फरपुर जिला	तथैव
21	श्री अशोक कुमार सिन्हा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गया जिला	तथैव
22	श्री जितेन्द्र प्रसाद, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, भागलपुर जिला	तथैव
23	श्री सुदामा चौधरी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, पटना जिला	तथैव

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार, खाद्य सुरक्षा आयुक्त-सह-सचिव।

11 माघ 1933 (श०)
(सं० पटना 43) पटना, मंगलवार, 31 जनवरी 2012

पर्यावरण एवं वन विभाग

अधिसूचना

25 जनवरी 2012

सं० वन/पर्या०-29/1998-88(ई०)/प०व०-जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा-64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के परामर्श से, बिहार राज्य जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण (सहमति शुल्क) नियमावली 1984 (समय-समय पर यथा संशोधित) में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

संशोधन

बिहार राज्य जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण (सहमति शुल्क) नियमावली, 1984 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-3 के उप-नियम (2) की सारणी निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी:-

सारणी

क	स्थानीय निकाय	सहमति शुल्क (रुपये में) (तीन वर्षों के लिए)
(I)	नगर निगम	14,000/-
(II)	नगर परिषद	5,500/-
(III)	नगर पंचायत	2,500/-

ख	उद्योग	सहमति शुल्क (रुपये में) (तीन वर्षों के लिए)
(I)	25 लाख रुपये के पूँजी निवेश तक वाली औद्योगिक इकाई	5,500/-
(II)	25 लाख रुपये से उपर परन्तु 5 करोड़ रुपये के पूँजी निवेश तक वाली औद्योगिक इकाई	25,000/-
(III)	5 करोड़ रुपये से उपर परन्तु 10 करोड़ रुपये के पूँजी निवेश तक वाली औद्योगिक इकाई	40,000/-
(IV)	10 करोड़ रुपये से उपर परन्तु 50 करोड़ रूपये के पूँजी	55,000/-
(V)		1,40,000/-

टिप्पणी :

1. सारणी में विनिर्दिष्ट औद्योगिक इकाईयों के पूँजी में वैसे सभी पूँजी निवेश शामिल हैं जो भूमि, मकान, प्लान्ट और मशीनरी जैसे स्थायी आस्तियों में किये गये हों।
2. ऐसे सहमति आवेदन, जो बिना विहित सहमति शुल्क के विया गया हो, पर्षद द्वारा ग्रहण नहीं किये जायेंगे।
3. सहमति शुल्क का भुगतान, सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना के पदनाम से बैंक ड्राफट द्वारा की जायेगी, जो पटना में देय होगी।

यह अधिसूचना बिहार सरकार के राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रामावतार राम, सरकार के विशेष सचिव।

11 माघ 1933 (श०)
(सं० पटना 44) पटना, मंगलवार, 31 जनवरी 2012

पर्यावरण एवं वन विभाग

अधिसूचना

27 जनवरी 2012

सं० पर्या० वन-02/2011-90 (ई०)/प०व०-पर्यावरण (संरक्षण)

अधिनियम 1986 (1986 का 29) की धारा-3 की उप-धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या-का०आ० 1533(अ०) दिनांक 14.09.2006 के अनुपालन में उक्त अधिसूचना में वर्णित प्रवर्ग 'ख' के परियोजना पर विचार एवं निर्णय हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के आदेश संख्या-का० आ० 255(अ०) दिनांक 07.02.2011 द्वारा राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, (S.E.I.A.A.) एवं राज्य विशेषज्ञ आकलन समिति (SEAC) का गठन किया गया है। राज्य विशेषज्ञ आकलन समिति प्रवर्ग 'ख' से संबंधित परियोजनाओं के लिए पर्यावर्णीय अनापत्ति हेतु समर्पित आवेदन पत्र पर सभी अभिलेखों के परीक्षणोपरांत लोक सुनवाई के प्रतिवेदन के आधार पर अपनी अनुशंसा देती है। समिति की अनुशंसा के आधार पर प्राधिकरण द्वारा उन परियोजनाओं को पर्यावर्णिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

2. पर्यावर्णिक स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन पर 'सूक्ष्म परीक्षण शुल्क' की वसूली का मामला राज्य सरकार के समक्ष विचारधीन था।

3. राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि पर्यावर्णीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण अधसिूचना संख्या-का०आ० 1533 (अ०). दिनांक 14.09.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अंतर्गत राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण के द्वारा पर्यावर्णिक स्वीकृति प्रदान करते के लिए समर्पित तथा समर्पित किये जाने वाले परियोजनाओं हेतु 'सूक्ष्म परीक्षण शुल्क' निम्नवत होगी:-

क्र०	कुल परियोजना मूल्य	"सूक्ष्म परीक्षण शुल्क"
1.	पाँच करोड़ ₹ तक	25 हजार ₹
2.	पाँच करोड़ ₹ से पच्चीस करोड़ ₹ तक	01 लाख ₹
3.	पच्चीस करोड़ ₹ से एक सौ करोड़ ₹ तक	03 लाख ₹
4.	एक सौ करोड़ ₹ अधिक	05 लाख ₹

4. परियोजना प्रतिनिधि द्वारा इस राशि का भुगतान बैंक, ड्राफ्ट के रूप में, जो सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना के पक्ष में भुगतेय होगा, किया जायेगा। इस पर्यावरण समाघात् निर्धारण अधिसूचना, 2006 के तहत पर्यावर्णिक स्वीकृति हेतु आवेदन समर्पित करने के समय जमा किया जयेगा।

5. सूक्ष्म परीक्षण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि गैर कर राजस्व के रूप में राज्य सरकार के खाते में जमा किया जायेगा।

6. बिहार राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण के दिन-प्रतिदिन (day to day) के कार्यों के सम्पादन हेतु राज्य सरकार सहायक अनुदान राशि

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रामावतार राम
सरकार के विशेष सचिव।

(उपर्युक्त अधिसूचनाएं चैम्बर कार्यालय में उपलब्ध हैं)

नोटफिकेशन और सर्कुलर

इन्कम टैक्स

टी. डी. एस जमा कराने की देय तिथि में फिर बदलाव:

विभाग ने अपने नोटिफिकेशन नं. 57/2011 दिनांकित 24-10-2011 के जरिये टीडीएस की रिटर्न जमा करवाने की देय तिथि में बदलाव किया है। यह बदलाव 1 नवम्बर, 2011 से प्रभावी माना जायेगा।

तिमाही	देय तिथि	
	सरकारी विभाग के लिये	अन्य के लिये
1. अप्रैल से जून	31 जूलाई	15 जूलाई
2. जूलाई से सितम्बर	31 अक्टूबर	15 अक्टूबर
3. अक्टूबर से दिसम्बर	31 जनवरी	15 जनवरी
4. जनवरी से मार्च	15 मई	15 मई

टी.डी.एस रिटर्न में दी जाने वाली सूचना का विस्तार: विभाग ने अपने नोटिफिकेशन नं. 57/2011 दिनांकित 24/10/2011 के जरिये आयकर अधिनियम के नियम 31A के उपनियम 4 में आईटम नं. vii जोड़ दिया है, जिसके अनुसार टीडीएस रिटर्न में ऐसे ब्याज का विवरण देना होगा जिस पर आयकर अधिनियम की धारा 197A (I) या (IA) या (IC) के तहत बिना टीडीएस काटे ब्याज आदि का भुगतान किया गया हो। साधारण भाषा में मुख्य रूप से फार्म 15G व फार्म 15H लेकर बिना टीडीएस काटे ब्याज भुगतान करने सम्बन्धी विवरण सम्मिलित होती है। अत: टीडीएस रिटर्न भरवाने के लिये जब सूचना तैयार की जाती है उस समय जिसका टीडीएस काटा गया है उसकी सूचना के साथ जिससे फार्म 15G व फार्म 15H लेकर टीडीएस नहीं काटा गया है उसकी भी सूचना देनी होगी । इसी के साथ यादि किसी व्यापारी द्वारा पैन लेकर भाड़े का भुगतान बिना टीडीएस काटे किया है तो उसकी सूचना भी साथ में उपलब्ध करवानी होगी। इस सूचना में भाड़ा प्राप्तकर्त्ता का नाम, पैन व भाड़े की राशि आदि, इन सभी का विवरण देना होगा।

टी.डी.एस. में नया नियम : टी डी एस में नियम 37BA(2) में संशोधन कर एक नया नियम बनाया है जिसके अनुसार यदि जिसका टीडीएस काटा जा रहा है वह भिन्न व्यक्ति है तथा जिस आय पर टीडीएस काटा जा रहा है व किसी अन्य व्यक्ति की आय में शामिल होनी है, वहाँ इस टीडीएस का क्रेडिट उस व्यक्ति को प्राप्त होगा जिस व्यक्ति की आय में यह आय जुड़ेगी।

रिजर्व बैंक

रिजर्व बैंक द्वारा 4-11-2011 को कुछ सर्कुलर जारी करके कुछ नियमों में परिवर्तन लाये है जो कि निम्न है :

बीस हजार रुपये या अधिक का ड्राफ्ट बैंक द्वारा क्रॉस करके ही जारी किया जाये : रिजर्व बैंक ने अपने सर्कुलर नं. 49 दिनांकित 4-11-2011 द्वारा सभी बैंकों को निर्देश जारी किये हैं कि वे बीस हजार रुपये या उससे अधिक राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट को क्रॉस करें।

बैंक सेविंग अकाउन्ट धारकों को पासबुक उपलब्ध करवायें: रिजर्व बैंक ने अपने सर्कुलर नं. 48 दिनांकित 4-11-2011 द्वारा सभी बैंकों को अपने सभी सेविंग आकउन्ट धारकों को पासबुक की सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये। यदि अकाउन्ट धारक स्वयं पासबुक की बजाय बैंक स्टेटमेन्ट की सुविधा चाहता है तो बैंक नि:शुल्क मासिक स्टेटमेन्ट उस धारक को उपलब्ध करायें।

चेक की वैधता अवधि छ: माह से घटाकर तीन माह की: रिजर्व बैंक ने अपने सर्कुलर नं 47 दिनांकित 4.11.2011 द्वारा यह नियम बनाया है कि 1 अप्रैल 2012 से चैक, ड्राफ्ट, पे आर्डर जारी करने की तिथि से तीन माह के लिए ही वैध रहेंगे। अर्थात् वर्तमान की तरह वे छ: माह के लिए वैध नहीं माने जायेंगे और किसी भी चेक प्राप्तकर्त्ता को तीन माह के अंदर चेक जमा करवाना होगा अन्यथा ऐसे चेक या ड्राफ्ट आदि अवैध माने जायेंगे। (Source:T.P., December 2011)

ट्रस्ट को 80G का रिनीयूअल करवाने की जरूरत नहीं

ट्रस्ट द्वारा धारा 80G में Approval ले लेने के बाद जो व्यक्ति ट्रस्ट को दान देता है उसे आयकर में धारा 80G में छूट प्राप्त होती है। पूर्व में धारा 80G का Approval आयकर विभाग द्वारा दो या तीन वर्ष के लिए दिया जाता था जिसे बाद में रिनीयू करवाना पड़ता था। बजट 2009 में धारा 80G(5) में एक संशोधन किया गया था जिसके तहत 80G के Approval को बार-बार रिनीयू करवाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यानि 80G का Approval एक बार ही होगा जो कि इन Perpetuity Effective रहेगा। यह संशोधन आने के बाद यह प्रश्न उठा है कि जो Approval पहले से धारा 80G में चल रहें हैं उनका क्या होगा? क्या उन्हें एक बार रिनीयू करवाना होगा या फिर वह ओटोमेटीक रिनीयू मानी जाएगी? इसको स्पष्ट करने के लिए विभाग ने 3.6.2010 को एक सर्कुलर जारी किया जिसके अनुसार पहला: यह संशोधन 1.10.2010 से लागू माना जाएगा। दूसरा : जिन ट्रस्ट ने 1. 10.2009 से पहले 80G का Approval ले रखा है तथा उनकी 80G की वैधता Expiry 1.10.2009 या उसके बाद तक है तो उन्हें 80G के Approval को रिनीयू करवाने की आवश्यकता नहीं है यानि यह माना जाएगा की उनकी 80G का

Approval एक बार हो गया है। तीसरा : जिन ट्रस्ट ने 1.10.2009 से पहले 80G का Approval ले रखा है तथा उनके 80G की वैधता 1.10.2009 से पहले है तो उन्हें इसे एक बार रिनीयू करवाना होगा फिर यह One Time हो जाएगा। चौथा : जो ट्रस्ट प्रथम बार 1.10.2009 या उसके बाद 80G के Approval के लिए आवेदन करेंगे उन्हें 80G के Approval One Time दी जाएगी। इस सर्कुलर में यह भी बताया गया कि उक्त नियमों के तहत जिनकी Approval धारा 80G के तहत One Time हो गई लेकिन कोई ट्रस्ट धारा 80G की शर्तों की अवहेलना करते हुए पाया गया तो उसका 80G का Approval रद्द कर दिया जाएगा।

(Source : T.P., February 2012)

निम्नलिखित के पूर्ण विवरण हेतु चैम्बर से सम्पर्क

- बीस हजार से अधिक व्यापारिक नकद व्यवहार करते समय सावधान!
- फर्जी खरीद में धारा 40ए(3): निर्धारिती क्या करें?
- पैन कार्ड और संबंधित परेशानियाँ: कैसे बचें?
- पैन नहीं दिया या गलत दिया तो पेनाल्टी से कैसे बचें?
- आयकर विभाग ने अपने नोटिफिकेशन नं० 56/2011 (F.No. 133/48/ 2011-SO(TPL) 17.10.2011 के गैर नागरिकों के लिए नया फार्म 49एए निकाला है, साथ ही आवेदन के लिए अन्य जरूरी दस्तावेजों की सूची भी जारी की है। (T.P. December 2011)
- डूबता ऋण : कटौती कब-कब स्वीकार होगी।
- रिफंड जल्दी कैसे पायें?
  (आयकर रिटर्न भरने के बाद रिफंड जल्दी मिल जाये, इसके लिए किन बातों का रखना है ध्यान)
- क्या Belated Claim के लिए संशोधित रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य

समाचार सार

1. **खाद्य प्रसंस्करण से भरेगी निवेश की झोली**

ख बिहार सरकार को उम्मीद है कि इस साल करीब 600 करोड़ रुपये का इस क्षेत्र में हो सकता है निवेश। ख बिहार में कृषि उत्पादों को मिलेगा बड़ा बाजार ख खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में निवेश करने वालों को कुल परियोजना राशि का करीब 35 फीसदी हिस्सा मिलेगा अनुदान के रूप में ख राज्य सरकार इस मद में दे चुकी है अब तक 120 करोड़ रुपये ख बीते साल इस क्षेत्र में हो चुका है 1,000 करोड़ का निवेश ख कई खाद्य प्रसंस्करण इकाईयाँ शुरू हो सकती है इस साल तक। (विस्तृत समाचार : बिजनेस सटेंडर्ड, 24.1..2012)

2. **रेल किरायें में 25: वृद्धि की सिफारिश**

भारतीय रेल के आधुनिकीकरण के लिए बनी उच्च स्तरीय कमेटी ने ट्रेनों के किराये एक मुश्त 25: बढ़ाने की सिफारिश की है। सैम पित्रोदा के नेतृत्व में बनी कमेटी ने रेल किराये को मुद्रास्फीति की दर से जोड़ने की भी वकालत की है। उन्होंने कहा कि इन सिफारिशों पर अमल करने से अगले वित्तीय वर्ष में रेलवे 60 हजार करोड़ रुपये जुटा सकता है। (विस्तृत समाचार : हिन्दुस्तान 24.1..2012)

3. **रजिस्टर्ड डीलरों के परिजनों को मिलेगा अनुदान**

राज्य सरकार अब रजिस्टर्ड डीलरों के दुर्घटना मृत्यु पर उनके परिजनों को अनुदान देगी। हालांकि अभी राशि का निर्धारण नहीं हुआ है लेकिन उम्मीद की जा रही है कि मृतक के परिजनों को दो लाख रुपये अनुदान राज्य सरकार की ओर से दिये जायेंगे। अगले वित्तीय वर्ष से यह योजना लागू हो जायेगी। (हिन्दुस्तान 24.1.2012)

4. **बैंकरों ने दिया बचत को प्रोत्साहन देने का सुझाव**

कहा– घरों में रखे सोने-चांदी को बाहर निकालकर बैंकिंग तंत्र में लाने के उपाय किए जाएँ। (विस्तृत समाचार : राष्ट्रीय सहारा, 20.1..2012)

5. **रेलवे के माल भाड़े पर अभी नहीं लगेगा सर्विस टैक्स**

रेलवे से अपना माल मांगने व भेजने वालों के लिए फिलहाल राहत की बात है कि रेलवे के माल भाड़े पर अभी सर्विस टैक्स नहीं देना होगा।

(विस्तृत समाचार : हम व्यापारी, 16-31 जनवरी 2012)

प्रॉपर्टी टैक्स का नया फार्मूला तैयार

टैक्स : वार्षिक किराया दर का 1.25 गुना और उसका 9.5 प्रतिशत

श्रेणी एक: होटल, रेस्टोरेण्ट, बार, हेल्थ क्लब, सिनेमा हॉल, गेस्ट हाउस, मैरज हॉल व मनोरंजन स्थल। श्रेणी दो: दुकान, शो रूम। श्रेणी तीन: कामर्शियल ऑफिस, वित्तीय संस्थान, बैंक, बीमा कंपनियों का दफ्तर, हॉस्पिटल व नर्सिंग होम, लैबोरेट्री। श्रेणी चार: इंडस्ट्री, वर्कशॉप, स्टोरेज, गोदाम, वेयरहाउस। श्रेणी पांच: कामर्शियल प्रतिष्ठान, राज्य व केन्द्र सरकार के निगम। श्रेणी छह: कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण व गाइडेंस इंस्टीच्यूट व उनके हॉस्टल। श्रेणी सात: राज्य व केन्द्र सरकार के दफ्तर।

सिर्फ वार्षिक किराया दर का 9.5%

श्रेणी आठ: स्कूल, कॉलेज, रिसर्च, इंस्टीच्यूट, अन्य शैक्षणिक संस्थान। श्रेणी नौ: धार्मिक स्थल व केन्द्र। श्रेणी दस: चैरिटेबुल संस्थाओं– ट्रस्टों, सामाजिक संस्थानों के शिक्षण संस्थान, निर्धनों, शारीरिक अपंगों, महिलाओं व बच्चों के सहयोग के लिए चलने वाले संस्थान।

चीफ म्यूनिशिपल अफसर द्वारा निर्धारण: एक या सवा गुना पर। श्रेणी ग्यारह: अन्य सभी होल्डिंग जो एक से दस कैटेगरी में नहीं है।

खाली जमीन पर लगने वाला टैक्स (प्रति वर्ग मीटर रुपए में)

स्थानीय निकाय	प्रधान मेन रोड	मेन रोड	अन्य
नगर निगम	05	04	03
नगर परिषद	04	03	02
नगर पंचायत	03	02	01

(विस्तृत समाचार : हिन्दुस्तान 7.2.2012)

CHAMBER SUBMITTED PRE-BUDGET MEMORANDUM

Bihar Chamber of Commerce has submitted Pre-Budget Memorandum on VAT & Industry to the Hon'ble Deputy Chief Minister, Shri Sushil Kumar Modi for the financial year 2012-2013. Interested member may get the copy of Memorandum from Chamber Office.

अनुरोध

चैम्बर कार्यालय द्वारा मेम्बरशिप लिस्ट अपडेट किया जा रहा है। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने कार्यालय, आवास, फैक्स, मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आईडी की जानकारी चैम्बर कार्यालय में भेजने की कृपा करें। चैम्बर के ई-मेल **bccpatna@gmail.com** *पर भी सदस्य उक्त जानकारी दे सकते हैं।*

EDITORIAL BOARD

Editor	K. P. Singh	Printer & Publisher
Sanjay Kumar Khemka	Chairman	Eqbal Siddiqui
Secretary General	Library & Bulletin Sub-Committee	Addl. Secretary

ज्ञीमउवींदक वैनर्कातल इंतहए चंजदं . 800 001 ख चैप रू 3200646ए 2677605ए 2677635 ख थ्ंग छवण् रू 0612.2677505 ख म्.उंपस रू इबबचंजदं/हउंपसण्बवउ

Price Rs. 0.25

Design & Printed by : Sharada Enterprises, Patna, Ph.:0612-2690803, 2667296